

MUNICIPAL CORPORATION BHILAI (C.G.)

NIT

कार्य का नाम :- नगर पालिक निगम भिलाई की सामान्य सभा एवं महापौर परिषद की बैठक/विशेष बैठक हेतु नास्ता एवं भोजन व्यवस्था कार्य।

S.N	Particulars	Unit	Qty	Rate	Amount
1	थाली स्पेशल				
	जीरा राइस, सादा राइस, सादा तवा रोटी या पराठा/धनीर की सब्जी, एक अन्य सब्जी (मौसमी), दाल फाई, रायता, सलाद, पापड, अचार, मीठा 01 पीस	थाली	1000		
2	थाली सामान्य				
	सादा चावल, पुड़ी, एक मौसमी सब्जी, सादा दाल, सलाद, अचार, मीठा 01 पीस	थाली	1000		
3	मिनरल बॉटल 200 एम.एल	पेट्टी	1000		
4	नारता प्लेट मिक्स				
	1. डोकला + समोसा / कचौड़ी + मीठा + नमकीन	पैकेट	3000		
	2. दोसा सादा / मसाला चटनी सहित				
	3. सांबर बड़ा 02 पीस चटनी सहित				
5	चाय	कप	5000		
6	कॉफी	कप	1000		
7	कोल्ड्रॉक 02 ली. (पेप्सी, थम्सअप, कोको कोला, फेन्टा, स्प्राइट) इत्यादि	नग	500		
8	लस्सी 200 एम.एल.	गिलास	200		
9	मठा 200 एम.एल.	पैकेट	200		
10	समोसा प्रति नग	नग	200		
11	कचौड़ी प्रति नग	नग	200		
12	आलु गुण्डा प्रति नग	नग	200		
13	कटलेट सादा प्रति नग	नग	200		
14	डोकला	नग	200		
15	रवीट (कलाकंद, अंजीर बरफी, मिल्क केक)	किलो	40		
16	रसगुल्ला / गुलाब जामुन	किलो	40		
17	मीठा दूध 200 एम.एल. (देक्मोग)	बॉटल / पैकेट	1820		

Secretary
Municipal Corporation
Bhilai

Assistant Engineer
Municipal Corporation
Bhilai


Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai


नगरपालिका अभियन्ता
नगर पालिक निगम
भिलाई

// नियम एवं शर्तें //

कार्य का नाम :- सामान्य सभा/महापौर परिषद/विशेष बैठक में भोजन एवं स्वल्पाहार की व्यवस्था।

1. स्वल्पाहार/भोजन व्यवस्था का कार्य स्थानीय कैंटरर्स/होटल व्यवसायी से निविदा आमंत्रित की जाती है।
2. कैंटरर्स/होटल व्यवसायी का स्वयं का होटल/गुमास्ता लाइसेंस की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
3. धरोहर राशि कार्यपालन अभियंता एवं संबंधित के नाम से संयुक्त एफ.डी.आर लिफाफा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
4. सर्शत निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. दरें समस्त कर सहित देंगे।
6. स्वल्पाहार/भोजन आवश्यकता अनुसार पैकेट अथवा मुख्य कार्यालय में बनाकर देना होगा जिसमें प्लेट, चम्मच, कटोरी इत्यादि की संपूर्ण व्यवस्था की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी।
7. पानी गर्मी के मौसम में ठंडा देना होगा।
8. स्वल्पाहार/भोजन ताजा एवं स्वादिष्ट होना चाहिए खराब एवं बासी की शिकायत मिलने पर एजेंसी के उपर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
9. सामग्री की सुरक्षा की संपूर्ण जवाबदारी एजेंसी की होगी। खो जाने, टूट जाने पर किसी भी प्रकार की जवाबदारी निगम की नहीं होगी।
10. सामग्री कार्य स्थल पर समय पर पहुंचाना/बनाकर देना व्यवस्थित करना, देखरेख करना कार्य समाप्ति उपरांत ले जाना, इसकी भी जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। सामग्रियों का परिवहन कार्य एजेंसी द्वारा स्वयं करना होगा परिवहन कार्य पर होने वाले व्यय निविदा दर में सम्मिलित करना होगा। पृथक से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. कार्य समयानुसार नहीं किए जाने पर अन्य श्रोतों से कार्य कराया जाएगा। कार्य में होने वाले संपूर्ण व्यय की दुगुनी राशि एजेंसी से वसूल किया जाएगा।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर पालिक निगम आयुक्त का निर्णय मान्य एवं अंतिम होगा।


कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


सहायक अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई


अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई